Bill No. 1 of 2022

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy Third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 293, Central Act No. 2 of 1974.- In clause (g) of sub-section (4) of section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), in its application to the State of Rajasthan, after the existing expression "the Central Government" and before the existing expression, "for this purpose.", the expression "or the State Government" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Reports of scientific experts play a crucial role in resolving legal issues. The testimony of scientific experts is relied upon by various courts in judicial determination. Section 293 of the Code of Criminal Procedure provides that reports of certain Government scientific experts may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under the Code. Sub-section (4) of this section furnishes a list of Government scientific experts whose reports may be used as evidence.

In the present scenario, scope and contribution of scientific experts and their testimony have significantly increased in the legal system. Such experts are also summoned and examined by the court as to the subject matter of the report. Presently, paucity of such experts leads to delay in justice. It has been felt that the list of Government scientific expert in sub-section (4) is not exhaustive and a considerable number of scientific experts is required to meet their demand in court proceedings.

Accordingly, existing clause (g) of sub-section (4) of section 293 is proposed to be amended to provide for other Government scientific experts as the State Government may specify by notification.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

(Central Act No. 2 of 1974)

XX XX XX XX XX

293. Reports of certain Government scientific experts.- (1) to (3) xx xx xx xx xx

(4) This section applies to the following Government scientific experts, namely:-

(a) to (f) xx xx xx xx xx

(g) any other Government scientific expert specified, by notification, by the Central Government for this purpose.

XX XX XX XX XX

<u>2022 का विधेयक सं. 1</u>

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 293 का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के, राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, उसकी धारा 293 की उप-धारा (4) के खण्ड (छ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "केन्द्रीय सरकार" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा, अधिसूचना द्वारा" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या राज्य सरकार" अन्त:स्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें विधिक विवादों का समाधान करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। न्यायिक अवधारण में विभिन्न न्यायालयों द्वारा वैज्ञानिक विशेषज्ञों के परिसाक्ष्य पर विश्वास किया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 यह उपबंधित करती है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लायी जा सकेंगी। इस धारा की उप-धारा (4) में उन सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची दी गयी है जिनकी रिपोर्टें साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लायी जा सकेंगी।

वर्तमान परिदृश्य में, विधिक प्रणाली में वैज्ञानिक विशेषज्ञों और उनके परिसाक्ष्य के विस्तार और उनके योगदान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। न्यायालय द्वारा ऐसे विशेषज्ञों को समन किया जाता है और रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उनका परीक्षण भी किया जाता है। वर्तमान में, ऐसे विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलंब होता है। ऐसा महसूस किया गया है कि उप-धारा (4) में सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची परिपूर्ण नहीं है और न्यायालय की कार्यवाहियों में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए उनकी पर्याप्त संख्या में आवश्यकता है।

तदनुसार, ऐसे अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों, जैसाकि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के लिए उपबंध करने हेतु धारा 293 की उप-धारा (4) के विद्यमान खण्ड (छ) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

293. कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें.- (1) से (3) XX XX XX XX XX

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है अर्थात्:-

(क) से (च) XX XX XX XX XX

(छ) कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

XX XX XX XX XX

Bill No. 1 of 2022

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDEMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)

2022 का विधेयक सं. 1

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,

सचिव।

(अशोक गहलोत, **प्रभारी मंत्री**)